भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3558
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्थानीय निकायों के लिए निधियों का आवंटन

3558. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तमिलनाडु सहित देश के स्थानीय निकायों (ग्रामीण) के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार धनराशि आवंटित की है;
(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां तमिलनाडु सहित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाती है , जो बाद में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित जिलों /स्थानीय निकायों को जारी की जाती है। इसलिए, यह मंत्रालय किसी भी ग्रामीण स्थानीय निकाय को सीधे तौर पर निधियां आवंटित नहीं करता है।

(ग) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय की किसी भी योजना /कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , मंत्रालय की देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

*****